छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

क्रमांक/879/142/परीक्षा/2009/ रायपुर, दिनांक 17.08.2009

''राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना''

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2008 जिसके लिए परीक्षा तिथि दिनांक 12 एवं 13 सितम्बर 2009 निर्धारित है, तथा उक्त तिथियों में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में संपन्न होगी, से संबंधित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आयोग द्वारा निरस्त कर दिए गये हैं उनकी सूची परिशिष्ट–I में दर्शित है। यह सूची अनर्हता के संक्षिप्त कारणों सहित आयोग की वेबसाइट **www.psc.cg.gov.in** पर दिनांक 17.08.2009 से उपलब्ध रहेगी। अनर्हता के आधार पर आवेदन पत्र निरस्त किये जाने के संबंध में आयोग द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को पृथक से व्यक्तिशः सूचना नहीं भेजी जाएगी।

2/ **आयोग कार्यालय द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेशपत्र जारी किए जा चुके हैं। अभ्यर्थी का मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश विज्ञापन की शर्तों के अध्याधीन रहेगा। जिन अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्राप्त नहीं होता है, ऐसे सभी अभ्यर्थी दिनांक 07 सितम्बर 2009 से आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in से डाउनलोड कर प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त कर अपने निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित हो सकते हैं।**

3/ जिन अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा अथवा वेबसाइट के माध्यम से भी प्राप्त नहीं हो पा रहे हों ऐसे अभ्यर्थी आयोग कार्यालय के परीक्षा शाखा में राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन पत्र जमा करने के संबंध में पुष्ट प्रमाण के साथ आवेदन पत्र देकर **दिनांक 09 सितम्बर 2009 से अनुभाग अधिकारी (परीक्षा) से सम्पर्क कर सकते हैं।**

4/ **ऐसे सभी अभ्यर्थी जो पूर्ण रूप से दृष्टिहीन हैं या ऐसे अभ्यर्थी जिनके दोनों हाथ नहीं है, या जो अपने दाएं–बाएं दोनों हाथों का उपयोग नहीं कर सकते, उन्हें मेडिकल बोर्ड का चिकित्सीय प्रमाण पत्र/सिविल सर्जन का चिकित्सीय प्रमाण– पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा सह लेखक की सुविधा दी जायेगी। सह लेखक की शैक्षणिक योग्यता बारहवीं (10 +2) से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी, सहायक लेखक की सुविधा प्राप्त करने हेतु कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए सहायक लेखक की दो पासपार्ट साईज फोटो, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, सह लेखक के रूप में कार्य करने के संबंध में उसकी सहमति के साथ परीक्षा तिथि के 10 दिन पूर्व आयोग कार्यालय में अनुभाग अधिकारी (परीक्षा) से अनिवार्यतः संपर्क करें।**

5/ अभ्यर्थी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2008 में केल्क्यूलेटर का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। अभ्यर्थी को अपने साथ डिजिटल डायरी, केल्क्यूलेटर, सेल्युलर फोन और पेजर लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

6/ परीक्षा परिसर में एवं भवन के अंदर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करता है/अशिष्ट, उद्दण्ड आचरण करता है/अनुचित/अशोभनीय या अश्लील व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा। उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी ऐसे दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे।

सही/–

अवर सचिव (परीक्षा)
छ0ग0 लोक सेवा आयोग
रायपुर